अज अदालत सहायक कलक्टर टोंक मुकाम

छोटू आदि मै. बनाम देवनारायण

किस्म मुकदमा दावा 88, 53, 188 नं. 54 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-5-18	आज ख़ाला. कैम्प मोर्ट होने से जनरल ता. दी गई गत आदेशों की पालना में दिनांक 5-7-18 को पेश हो 3 राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018	
28-6-18 भगवानसहाय	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प मोर्ट आयोजन में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 भगवानसहाय कैम्प मोर्ट में उपस्थित होने पर उसे सुना गया। पत्रावली में प्रार्थना पत्र 10 C.P.C., प्रार्थना-पत्र ऑर्डर 6 रूल 17 तथा प्रतिवादीगण का जवाब मुताबिक प्रार्थना-पत्र शामिल है। प्रतिवादी देवनारायण का प्रार्थना-पत्र 10 C.P.C. में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के वादों की समान रिलीफ नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र 10 C.P.C. खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र आर्डर 6 रूल 17 में कोई विशेष परिवर्तन किये जाने के बिन्दु नहीं होने से वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। वादीगण ने अपने प्रार्थना-पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 के अंतर्गत दफा-5 का प्रार्थना-पत्र पेश किया है। मृतक के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने के लिए दफा-5 व 22 नियम 4 व 151 हस्ताक्षर सहायक कलक्टर टोंक	

कार्यपालक मजिस्ट्रेट ... जिला ...

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्याय आपके द्वार 2018	

स्वीकार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 3-5-16 स्वीकार किया जाता है। वादीगण के द्वारा दिनांक 9-1-18 को निर्वाचक सूचि [illegible] पत्रावली में पेश किया जा चुका है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि होने से पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी छोटूराम एवं प्रतिवादी देवनारायण के पितामह (दादा) मुताबिक मिसल के लालाराम थे। लालाराम के दो पुत्र रेवड़ एवं माधुराम पैदा हुए। रेवड़ के पुत्र वादीगण है तथा माधुराम के पुत्र (वारिसान) प्रतिवादीगण है। ग्राम मण्डावरा के मुताबिक ख.नं. 238 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा सं. 2022 से 2025 की नकल जमाबंदी में लालाराम पुत्र भीवा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल 2026 से 2029 की नकल जमाबंदी में खाता संख्या 668 में लालाराम के दोनों पुत्रों की बजाय अकेले रेवड़ के नाम विरासत दर्ज हुई। सं. 2030 से सं. 2033 की नकल जमाबंदी खाता संख्या 251 में दर्ज होकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड हो गई। ख.नं. 238 के हाल ख.नं. 587 रकबा 0.89 है. अधिक मिले गये, जिसकी पुष्टि हेतु मिसल बन्दोबस्त सं. 2041 से 2061 शामिल है।

वादीगण ने अपने वाद की पुष्टि हेतु दौसा (46) विधान सभा क्षेत्र गांव मण्डावरा बूथ संख्या 4 भाग संख्या 183 की निर्वाचक नामावली 1971 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दौसा के ~~[illegible]~~ क्रम संख्या 91 से 180 की पेश की गई है, जिसमें रेवड़ मल एवं माधु के पिता का नाम लाला

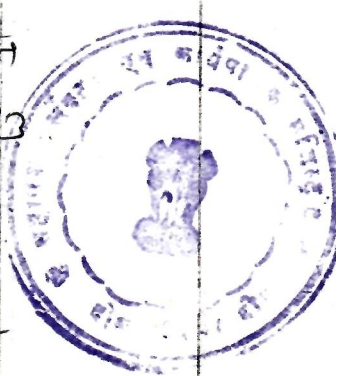

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अंकित है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि रेवड़ नाम फिल्ल नाथू दोनो लिये गये थे तथा भाग के पुत्र थे। भाग पुत्र जीवा के नाम अंकित भूमि में पक्षकारान की पैतृक भूमि होना पाया जाता है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम आवडारेल तहसील टोडा में स्थित ख.न. 5872 रकबा 0-89 है. भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोडा के निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की पालनार्थ हेतु तहसीलदार टोडा को तहरीर जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। मुकदमा फैसल हुआ। दीगर नक्कल मिसल हो बाद तकमील दाखिल रिकार्ड [illegible] हो। निर्णय स्थायी लोक अदालत कैम्प मेंडी आवडारेल के मध्य आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।	

न्याय आपके द्वार 2013

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड कलक्टर
टोडा